संख्या: 1:05:138: I: CS

दिनांक: 03.02.2026

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) **MUMBAI – 400 051.** **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,** लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), **मुंबई-400 051**	**BSE Limited,** Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, **MUMBAI – 400 001.** **बीएसई लिमिटेड,** कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, **मुंबई-400 001**

विषय: सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत सूचना – "सरकार सरकारी संस्थाओं पीएफसी और आरईसी के विलय पर विचार कर रही है" शीर्षक वाले समाचार लेख पर स्पष्टीकरण।

महोदया / महोदय,

"https://economictimes.indiatimes.com" / "www.economictimes.com" पर दिनांक 2/3 फरवरी, 2026 को प्रकाशित समाचार लेख, जिसका शीर्षक "Govt. considering merger of state-run entities PFC and REC" है, उस पर स्पष्टीकरण मांगने वाले आपके दिनांक 03 फरवरी, 2026 के ईमेल के संदर्भ में, निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत है:

6 दिसंबर, 2018 को, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पीएफसी द्वारा आरईसी में सरकार की 52.63% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए अपनी 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी थी। तदनुसार, पीएफसी ने मार्च 2019 में आरईसी का अधिग्रहण किया और इसके साथ ही पीएफसी, आरईसी का प्रवर्तक बन गई तथा आरईसी, पीएफसी की सहायक कंपनी बन गई है।

01 फरवरी, 2026 को, माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026 के दौरान सीधे तौर पर निम्नलिखित घोषणा की:

"विकसित भारत के लिए गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) की परिकल्पना को ऋण वितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के स्पष्ट लक्ष्यों के साथ रेखांकित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी में व्यापक विस्तार और दक्षता में सुधार लाने के लिए, पहले कदम के रूप में, पीएफसी और आरईसी का पुनर्गठन प्रस्तावित है।"

"पीएफसी इस घोषणा पर विचार-विमर्श करने और भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए एक बोर्ड बैठक आयोजित करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में किसी भी घटनाक्रम की जानकारी लागू सेबी एलओडीआर नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।"

इसके अतिरिक्त, आपके प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर निम्नलिखित है:

क्र. सं.	प्रश्न	पीएफसी का उत्तर
1	क्या इस तरह की बातचीत/घटनाएं चल रही थीं? यदि हाँ, तो आपको सलाह दी जाती है कि बातचीत/घटनाओं के शुरू होने से लेकर आज तक के घटनाक्रम के अनुसार (क्रमानुसार) उक्त जानकारी प्रदान करें।	नहीं
2	क्या आप/कंपनी ऐसी किसी भी जानकारी से अवगत हैं जिसकी घोषणा एक्सचेंजों को नहीं की गई है और जो ट्रेडिंग में उपरोक्त उतार-चढ़ाव को स्पष्ट कर सकती है? इसके अलावा, आपको उक्त जानकारी प्रदान करने और सेबी विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत आवश्यक होने के बावजूद उसे पहले एक्सचेंज को न बताने के कारणों को स्पष्ट करने की सलाह दी जाती है।	नहीं
3	नियामक/कानूनी कार्यवाही के मामले में, कृपया कार्यवाही की शुरुआत / परिणाम के बारे में जानकारी प्रदान करें। (केवल बीएससी द्वारा माँगा गया)	लागू नहीं
4	कंपनी पर इस लेख का भौतिक प्रभाव। (केवल एनएससी द्वारा माँगा गया)	बजट घोषणा पर अगली बोर्ड बैठक में विचार-विमर्श किया जाना प्रस्तावित है और इसके परिणाम की जानकारी लागू सेबी एलओडीआर नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि कंपनी सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत आवश्यक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं/घटनाक्रमों/सूचनाओं/कार्रवाइयों की जानकारी एक्सचेंजों को तत्काल देना जारी रखेगी।

यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

mk_agarwal@pfcindia.com